28

रक्षा संबंधी स्थायी समिति

(2021-22)

(सत्रहवीं लोक सभा)

रक्षा मंत्रालय

अनुदानों की मांगें (2022-23)

रक्षा सेवाओं संबंधी पूंजीगत परिव्यय, खरीद नीति, रक्षा आयोजना और विवाहित आवास परियोजना

(मांग सं. 21)

अट्ठाईसवां प्रतिवेदन

[केवल टिप्पणियाँ / सिफारिशें]

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली
मार्च, 2022/ फाल्गुन, 1943 (शक)

अट्ठाईसवां प्रतिवेदन

रक्षा संबंधी स्थायी समिति

(2021-22)

(सत्रहवीं लोक सभा)

रक्षा मंत्रालय

अनुदानों की मांगें (2022-23)

रक्षा सेवाओं संबंधी पूंजीगत परिव्यय, खरीद नीति, रक्षा आयोजना और विवाहित आवास परियोजना

(मांग सं. 21)

16.3.2022 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया
16.3.2022 को राज्य सभा के पटल पर रखा गया

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली
मार्च, 2022/ फाल्गुन, 1943 (शक)

विषय सूची

	पृष्ठ
समिति (2021-22) की संरचना	4
प्राक्कथन	6

प्रतिवेदन

भाग - दो

टिप्पणियाँ / सिफारिशें	7

रक्षा संबंधी स्थायी समिति की संरचना (2021-22)

श्री जुएल ओराम - सभापति

लोक सभा

2. कुंवर दानिश अली
3. श्री नितेश गंगा देब
4. श्री राहुल गांधी
5. श्री डी. वी. सदानन्द गौड़ा
6. श्री अण्णासाहेब शंकर जोल्ले
7. चौधरी महबूब अली कैसर
8. श्री रतन लाल कटारिया
9. डॉ. रामशंकर कठेरिया
10. श्री श्रीधर कोटागिरी
11. श्रीमती राजश्री मल्लिक
12. श्री उत्तम कुमार रेड्डी नलमाडा
13. डॉ. टी.आर. पारिवेन्धर
14. श्री अनुमुला रेवंत रेड्डी
15. श्री जुगल किशोर शर्मा
16. डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे
17. श्री प्रताप सिम्हा
18. श्री बृजेन्द्र सिंह
19. श्री महाबली सिंह
20. श्री दुर्गा दास उईके
21. रिक्त

राज्य सभा

22. डॉ. अशोक बाजपेयी
23. श्री एन. आर. इलांगो
24. श्री प्रेम चंद गुप्ता

25. श्री वेंकटारमन राव मोपीदेवी
26. श्री शरद पवार
27. श्री वी. लक्ष्मीकांत राव
28. श्री कामाख्या प्रसाद तासा
29. डॉ. सुधांशु त्रिवेदी
30. ले. जन. (डॉ.) डी. पी. वत्स (सेवानिवृत्त)
31. श्री के. सी. वेणुगोपाल

<u>सचिवालय</u>

1.	श्री एम के मधुसूदन	-	संयुक्त सचिव
2.	डॉ. संजीव शर्मा	-	निदेशक
3.	श्री राहुल सिंह	-	उप सचिव
4.	श्रीमती शिल्पा कान्त	-	समिति अधिकारी

प्राक्कथन

मैं, रक्षा संबंधी स्थायी समिति (2021-22) का सभापति, समिति द्वारा प्राधिकृत किये जाने पर रक्षा सेवाओं संबंधी पूंजीगत परिव्यय, खरीद नीति, रक्षा आयोजना और विवाहित आवास परियोजना (मांग सं. 21) के संबंध में वर्ष 2022-23 हेतु रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों संबंधी यह अट्ठाईसवां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) प्रस्तुत करता हूँ।

2. रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगें 09.02.2022 लोक सभा के पटल पर रखी गई थीं। समिति ने 16, 17, और 18 फरवरी 2022 को रक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधियों का साक्ष्य लिया। समिति द्वारा 14 मार्च, 2022 को हुई बैठक में प्रारूप प्रतिवेदनों पर विचार किया गया और इसे स्वीकार किया गया।

3. समिति रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों और सेवाओं / संगठनों के प्रतिनिधियों का समिति के समक्ष उपस्थित होने और अनुदानों की मांगों की जांच के संबंध में समिति द्वारा वांछित सामग्री और जानकारी उपलब्ध कराने हेतु धन्यवाद करती है ।

4. संदर्भ और सुविधा के लिए समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों को प्रतिवेदन के भाग- दो में मोटे अक्षरों में मुद्रित किया गया है।

नई दिल्ली;
10 मार्च, 2022
19 फाल्गुन,1943 (शक)

जुएल ओराम
सभापति
रक्षा संबंधी स्थायी समिति

भाग दो

टिप्पणियां/सिफारिशें

रक्षा सेवाओं संबंधी पूंजीगत परिव्यय

1. मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी से समिति देखती है कि रक्षा सेवाओं हेतु पूंजीगत परिव्यय में तीनों सेवाओं और अन्य विभागों के लिए भूमि और निर्माण कार्यों हेतु आवंटन किया जाता है । अन्य शब्दों में रक्षा सेवाओं अर्थात थल सेना, नौ सेना, वायु सेना, संयुक्त स्टाफ, रक्षा आयुध निर्माणियां, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ) गुणता आश्वासन महानिदेशक (डीजीक्यूए), राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी), विवाहित आवास परियोजना, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, राष्ट्रीय राइफल्स आदि हेतु स्थाई आस्तियों हेतु व्यय किया जाता है । समिति नोट करती है कि वर्ष 2021-22 के दौरान रक्षा मंत्रालय हेतु राजस्व और पूंजीगत सहित आवंटन 3,68,418.13 करोड़ रुपये था जबकि अनुमान 3,47, 088.29 करोड़ रुपये और दिसम्बर,2021 तक वास्तविक व्यय मात्र 2,66,558.69 करोड़ रुपये था । समिति, रक्षा मंत्रालय द्वारा निधियों के वास्तविक व्यय के उपयोग के रूझान जो पिछले वर्षों के दौरान बजटीय आवंटन से अधिक था, सिवाय 2020-21 में, को ध्यान में रखते हुए आशा करती है कि मंत्रालय वर्तमान वित्त वर्ष 2021-21 तक

की समय सीमा में शेष अप्रयुक्त राशि 101,860 करोड़ रुपये के उपभोग हेतु समुचित उपाय करेगा ताकि भूमि, भवन और अन्य अवसंरचनात्मक कार्यों सहित अन्य पूंजी सघन परियेाजनाओं तथा नवीनतम हथियार प्रणालियों, विमानों, पोतों, टैंको की अधिप्राप्ति की जा सके जिससे यह सुनिश्चित हो कि वर्ष के अंत में निधियों का अभ्यर्पण ना हो ।

2. समिति नोट करती है कि रक्षा मंत्रालय को 2021-22 के पूंजीगत बजट के तहत 1,38,850.90 करोड़ रुपये के कुल आवंटन की तुलना में 2022-23 में 1,52,369.61 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे । इसमें से पूंजीगत अधिप्राप्ति शीर्ष के तहत मंत्रालय को 1,24,408.64 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे; तीनों सेवाओं संबंधी भूमि और कार्यों (विवाहित आवास परियोजना सहित) 12,149.16 करोड़ रुपये; डी.आर.डी.ओ, डीजीओएफ और अन्य विभागों को 15,811.81 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे । समिति यह जानकर प्रसन्न हे कि रक्षा मंत्रालय का कुल बजट जो 2021-22 में 4,78,196.62 करोड़ रुपये था बढ़कर 5,25,166.16 करोड़ रुपये हो गया ।

3. समिति नोट करती है कि 2022-23 में पूंजीगत शीर्ष के तहत 2,15,995.43 करोड़ रुपये की मांग की तुलना में आवंटन 1,52,369.61 करोड़ रुपये था ।

समिति पाति है कि य़द्यपि गत वर्षों की तुलना में आवंटन में वुद्धि हुई है परन्तु यह मंत्रालय के अनुमान के अनुरूप नहीं था । समिति सिफारिश करती है कि मंत्रालय रक्षा मंत्रालय द्वारा अनुमानित राशि में कटौति ना किए जाने के लिए वित्त मंत्रालय से संपर्क करे क्योंकि ऐसी स्थिति में योजनाओं/कार्यों की प्राथमिकता पुन: निर्धारित करनी पड़ती है जिसके परिणामस्वरूप रक्षा सेवाओं की परिचालनात्मक तैयारी से समझौता करना पड़ता है । समिति की इच्छा है कि मंत्रालय को अनुपूरक अनुदानों/संशोधित अनुमान चरण में अतिरिक्त अनुदानों हेतु अनुरोध करे यदि बी.ई चरण में निधियों की कमी के कारण योजनाएं/परियेाजनाएं प्रभावित होती है, क्योंकि पूंजीगत बजट का उपभोग आधुनिक युद्ध प्रणालियों की खरीद और विकास में किया जाता हे जो हमारी उत्तरी और पश्चिमी सीमाओं में वर्तमान सुरक्षा खतरों से निपटने हेतु आवश्यक है ।

<u>तीनों सेवाओं हेतु अनुमान और आवंटन</u>

4. समिति ने देखा कि 2016-17 से तीनों सेवाओं में से किसी को भी मंत्रालय द्वारा बी.ई और आई.ई चरण में मांगी गई राशि आवंटित नहीं कि गई है । थल सेना हेतु 2016-17 में आर.ई आकड़ों में अंतर 10,472.04 करोड़ रुपये था । यह 2021-22 में बढ़कर 12,967.81 करोड़ रुपये हो गया था । आर.ई चरण 2016-17 में नौ सेना हेतु अंतर 2933.76 करोड़ रुपये था जो 2021-22 में बढ़ कर 3,989.84 करोड़ रुपये हो गया था । वायु सेना के संबंध में 2014-15 में अंतर

8,273.09 करोड़ रुपये था जो 2020-21 आर.ई चरण में बढ़ कर 17,961.62 करोड़ रुपये हो गया था । समिति यह भी देखती है कि 2022-23 में बी.ई चरण में अनुमान और आवंटन बजट में अंतर थल सेना, नौसेना और वायु सेना के संबंध में 14,729.11 करोड़ रुपये 20,031.97 करोड़ रुपये और 28,471.05 करोड़ रुपये था । जो काफी अधिक है । समिति का मत है कि हमारे पड़ोसी देशों के साथ विशेषकर सीमा में वर्तमान में अत्यधिक तनाव को देखते हुए, पूंजीगत सघन आधुनिक उपकरणों जो युद्ध के परिणाम हमारे अनुकूल बनाने में अत्यावश्यक हैं और हमारे देश की प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि हेतु भी आवश्यक है, की खरीद जिससे कि हमारी सेना उनके बराबर या उनसे भी बेहतर हो, के लिए यह स्थिति अनुकूल नहीं है । थल सेना, वायु सेना और नौसेना हेतु अनुमानों की तुलना में आवंटन में अत्यधिक कमी की प्रवृत्ति को देखते हुए समिति सिफारिश करती है कि आने वाले वर्षों के दौरान किसी भी सेवाओं की मांगों की पूंजीगत शीर्ष के तहत बजट आवंटित करते समय मंत्रालय को कोई कटौति नहीं करनी चाहिए । समिति यह भी सिफारिश करती है कि 2022-23 के दौरान मंत्रालय तीना बलों के प्रचालनात्मक तैयारी को देखते हुए संशोधित अनुमान चरण में और अनुपूरक अनुदानों के समय भी आवंटन में वृद्धि करने हेतु उपाय करे ।

<u>अतिरिक्त आवंटन</u>

5. समिति नोट करती है कि 2021-22 के दौरान तीनों सेवाओं द्वारा मांगी गई अतिरिक्त आवंटन पूंजीत शीर्ष के तहत पृथक रूप से थल सेना हेतु 1,813.00 करोड़ रुपये, नौसेना हेतु 16,757.83 करोड़ रुपये, और वायु सेना हेतु 17,961.62 करोड़ रुपये थी जिसके पश्चात कुल आवंटन थल सेना हेतु 25,377.09 करोड़ रुपये, नौसेना हेतु 46,021.54 करोड़ रुपये और वायु सेना हेतु आर.ई चरण में 53,214.77 करोड़ रुपये था । समिति का मत है कि मंत्रालय सर्वप्रथम यह सुनिश्चित करे कि निधियों का अतिरिक्त आवंटन तीनों सेवाओं को किया जाए, क्योंकि सर्वाधिक प्राथमिकता रक्षा बलों की तैयारी हेतु दिया जाए और तीनों सेवाओं की महत्वूपर्ण परियोजनाओं और प्रचालनात्मक कार्यों हेतु उपयोग किया जाए । समिति की यह भी इच्छा है कि मंत्रालय आवंटित निधियों का प्रथम दो तिमाही में ही समय से उपयोग हेतु उपाय करे ताकि अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता का समय रहते निर्धारण किया जा सके और वित्त मंत्रालय से अनुपूरक अनुदान चरण में अनुमोदन प्राप्त किया जा सके ।

<u>रक्षा बलों का आधुनिकीकरण</u>

6. समिति ने देशा कि रक्षा बलों के आधुनिकीकरण में नवीनतम प्रणालियों, प्रौद्योगिकीयों और हथियार प्रणालियों की खरीद शामिल है ताकि रक्षा क्षमताओं

को उन्नत और इसमें वृद्धि की जा सके जो एक सतत प्रक्रिया है जो खतरों, प्रचालनात्मक आवश्यकताओं और प्रौद्योगिकीय बदलाव पर निर्भर है जिससे कि सुरक्षा संबंधी सभी चुनौतियों से निपटने हेतु शस्त्र बलों को तैयार रखा जा सके । मंत्रालय के अनुसार यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार सर्वाधिक प्राथमिकता देती है कि किसी भी प्रचानात्मक आवश्यकता से निपटने के लिए शस्त्र बल प्रभाप्त रूप से सुसज्जित हों ।ऐसा नए उपकरणों और प्रौद्योगिकीय उन्नयन द्वारा किया जाता है । शस्त्र बलों के उपकरणों की आवश्यकताओं के लिए योजना बनाई जाती है जिसकी एक विस्तृत प्रक्रिया है जिसमें 15 वर्षीय दीर्घकालिक एकीकृत संदर्शी योजना (एलटीआईपीपी), पांच वर्षीय सेवा-वार क्षमता खरीद योजना, दो वर्षीय 'रोल-ऑन' वार्षिक खरीद योजना तथा रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में रक्षा खरीद परिषद द्वारा विचार-विमर्श शामिल है । समिति ने पाया कि 2017-18 से पूंजीगत खरीद हेतु आधुनिकीकरण पर बी.ई, आर.ई और ए.ई के अवलोकन से पता चलता है कि किया गया वास्तविक व्यय अधिकतर आर.ई चरण के पश्चात भी आवंटित निधि से अधिक है । हालांकि मंत्रालय द्वारा दिसम्बर, 2021 तक 2021-22 में बी.ई 1,13,717.59 करोड़ रुपये में से 75,194.31 करोड़ रुपये उपयोग किए हैं, समिति की आशा है कि मंत्रालय द्वारा वित्त वर्ष 2021-22 के अंत तक इस शीर्ष के तहत निधियों के पूर्ण उपयोग के लक्ष्य को पूरा किया जाएगा । समिति नोट करती है कि नए उपकरणों की खरीद और वर्तमान

उपकरणों और प्रणालियों के उन्नयन के द्वारा शस्त्र बलों का आधुनिकीकरण एक सतत प्रक्रिया है जो अनुमोदित पूंजीगत खरीद योजनाओं के तहत किया जाता है, इसलिए समिति सिफारिश करती है कि आधुनिकीकरण प्रयोजन हेतु पूंजीगत शीर्ष के तहत अधिक और आवश्यक बजटीय आवंटन किया जाए ताकि निधियों की कमी के अड़चन के बिना खरीद और उन्नयन प्रक्रिया पूरी की जा सके ।

<u>प्रतिबद्ध देयताओं और नई योजनाएं</u>

7. समिति को बताया गया कि प्रतिबद्ध देयताएं पूर्व वर्षों के दौरान की गई संविदाओं के संबंध में वित्त वर्ष के दौरान किया जाने वाला भुगतान है । रक्षा सेवाओं अनुमानों के तहत प्रतिबद्ध देयताएं पूंजीगत खरीद खंड में एक महत्वपूर्ण हिस्सा है क्योंकि एक परियोजना अनेक वित्त वर्षों तक जारी रह सकती है । अत: यह प्रतिबद्ध देयताओं को ध्यान में रखना महत्वपूर्ण हे क्योंकि बजट आवंटन में यह प्रथम (चार्ज) होता है और अपर्याप्त प्रतिबद्ध देयताओं हेतु अपर्याप्त आवंटन निश्चय ही संविदात्मक दायित्वों हेतु 'चूक की स्थिति' उत्पन्न कर सकता है। नई योजनाओं में नई परियोजनाएं/प्रस्ताव शामिल हैं जो अनुमोदन के विभिन्न चरणों में हैं और जिन्हें निकट भविष्य में लागू किए जाने की संभावना है । समिति ने देखा कि रक्षा सेवाओं अनुमानों के तहत प्रतिबद्ध देयताओं और नई योजनाओं हेतु निधियों का पृथक आवंटन नहीं किया जाता है तथा इस हेतु निधियों पूंजीगत

खरीद (आधुनिकीकरण) शीर्ष के तहत आवंटित की जाती हैं । समिति ने पाया कि प्रतिबद्ध देयताओं और नई योजनाओं हेतु 2022-23 में बी.ई आवंटन 1,24,408.64 करोड़ रुपये था, जबकि बी.ई अनुमान 1,77,958.63 करोड़ रुपये है । 2021-22 आर.ई. आवंटन थल सेना हेतु 30,636.90 करोड़ रुपये की तुलना में 19,485.09 करोड़ रुपये है; नौसेना हेतु 47,414.33 करोड़ रुपये की तुलना में 43,736.02 करोड़ रुपये है और संयुक्त स्टाफ हेतु 405.71 करोड़ रुपये के अनुमान के तहत यह 43,736.02 करोड़ रुपये है । वायु सेना के लिए आर.ई आवंटन 50,090.77 करोड़ रुपये है, जबकि 67,169.42 करोड़ रुपये का आर.ई अनुमान है । इसके अतिरिक्त मंत्रालय द्वारा यह सुनिश्चित किया जाता है कि तात्कालिक और महत्वपूर्ण क्षमता की खरीद रक्षा सेवाओं की प्रचालनात्मक तैयारी से समझौता किए बिना की जाती है । समिति तीनों सेवाओं विशेषकर यह देखते हुए कि थल सेना एक पूजी सघन बल है हेतु आर.ई 2021-22 के तहत वास्तविक रूप से आवंटित निधियों के मद्देनजर इसे विरोधाभासी पाती है । पूंजीगत खरीद कोष में आवंटन संबंधी चिंताजनक स्थिति को देखते हुए समिति ने अपने 7वें और 21वें प्रतिवेदन में सिफारिश की थी कि रक्षा मंत्रालय प्रतिबद्ध देयताओं और नई योजनाओं हेतु एक समर्पित कोष स्थापित करे । चूंकि समिति द्वारा इस बारे में कोई प्रगति नहीं पाई गई है, अत: समिति पुन: सिफारिश करती है कि आगामी बजट से प्रतिबद्ध देयताओं और नई योजनाओं हेतु एक पृथक समर्पित शीर्ष सृजन

करे ताकि पूर्व में खरीद हेतु प्रतिबद्धता के लिए समय से भुगतान में परेशानी ना हो जिससे कि नई योजनाओं के तहत नवीनतम हथियार की खरीद की जा सके ।

<u>अव्यपगत रक्षा आधुनिकीकरण कोष-रक्षा नवीकरण कोष</u>

8. समिति ने अपने पूर्व के प्रतिवेदनों में सिफारिश की थी कि पूंजीगत बजट को 'गैर-व्यपगत' और 'रोल-ऑन' बनाया जाए । मौखिक साक्ष्य के दौरान समिति को बताया गया कि गैर व्यपगत रक्षा आधुनिकीकरण कोष हेतु एक कैबिनेट नोट विचारधीन है । समिति ने नोट किया कि 2020-21 में 3,43,822.00 करोड़ रुपये के कुल बजटीय आवंटन में से मंत्रालय द्वारा मात्र 2,33,176.70 करोड़ रुपये का उपयोग हुआ था । चूंकि करीब 110,645.3 करोड़ रुपये का उपयोग नहीं हुआ था जिसे इसे वित्त वर्ष 2020-21 के तीन महीनों में किया जाना है, समिति मंत्रालय से सिफारिश करती है कि गैर-व्यपगत रक्षा आधुनिकीकरण कोष-रक्षा नवीकरण कोष के सृजन में तेजी लाए, जिसका उपयोग मात्र आपात स्थिति में महत्वपूर्ण रक्षा आस्तियों की खरीद में किया जाए । चूंकि गैर-व्यपगत आधुनिकीकरण कोष संबंधी कैबिनेट टिप्पण विचाराधीन है, समिति मंत्रालय से सिफारिश करती है इसके सृजन हेतु अनुमोदन शीघ्र दिया जाए ताकि अनुपूरक या अतिरिक्त अनुदानों के चरण में अतिरिक्त निधियों की मांग के बिना खरीद की जा सके ।

खरीद नीति

रक्षा खरीद नीति

9. समिति नोट करती है कि सशस्त्र सेनाओं के लिए रक्षा उपकरणों की खरीद की नीति का उद्देश्य सैन्य उपकरणों, सिस्टम और प्लेटफार्मों की समय पर खरीद सुनिश्चित करना है, जैसा कि सशस्त्र सेनाओं द्वारा निष्पादन क्षमताओं और गुणवत्ता मानकों के संदर्भ में आवंटित बजटीय संसाधनों के इष्टतम उपयोग के माध्यम से आवश्यक है। नीति यह भी सुनिश्चित करने का प्रयास करती है कि नीति के प्रमुख उद्देश्य के रूप में रक्षा उपकरण उत्पादन और अधिग्रहण में आत्मनिर्भरता जिसे मेक-इन-इंडिया के माध्यम से प्राप्त किया जाता है के अतिरिक्त खरीद की प्रक्रिया में उच्चतम स्तर की ईमानदारी, सरकारी जवाबदेही, पारदर्शिता, निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा और समान अवसर प्रदान करना है। नीति रक्षा खरीद प्रक्रिया (डीपीपी) के तंत्र के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है। समिति ने यह भी पाया कि रक्षा खरीद प्रक्रिया 2016 को रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया 2020 के रूप में संशोधित किया गया है जो कि आत्मानिर्भर भारत अभियान के हिस्से के रूप में घोषित रक्षा सुधारों के सिद्धांतों से प्रेरित है। रक्षा उपकरणों के स्वदेशी डिजाइन और विकास को बढ़ावा देने के लिए 'खरीदें {भारतीय-आईडीडीएम (स्वदेशी रूप से डिजाइन, विकसित और विनिर्मित)}' श्रेणी जिसे 2016 में शुरू किया गया था और

कैपिटल उपकरणों की खरीद के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी, को डीएपी 2020 में बनाए रखा गया है। समिति को यह भी बताया गया कि रक्षा मंत्रालय ने एक दूसरी सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची अधिसूचित की है जिसमें 108 मदें शामिल हैं जिसके लिए आयात पर अंतरिम प्रतिबंध होगा। मंत्रालय द्वारा समिति को सूचित किया गया था कि अंतिम रक्षा खरीद नियमावली (डीपीएम) 2016 में बनाई गई थी और वर्तमान में नवीनतम आदेशों और अन्य विकासों को शामिल करने के लिए संशोधन के अधीन है। समिति आशा व्यक्त करती है कि रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया पर संशोधित नियमावली न केवल समयबद्ध तरीके से हथियारों, गोला-बारूद और रक्षा उपकरणों की खरीद के लिए प्रक्रिया को तेज बनाएगी अपितु आत्मनिर्भरता को भी बढ़ावा देगी। रक्षा मंत्रालय की अच्छी मंशा में विश्वास व्यक्त करते हुए, फिर भी समिति सिफारिश करती है कि खरीद की प्रक्रिया में सभी हितधारकों जैसे कि मंत्रालय, डीपीएसयू, सशस्त्र सेना और निजी क्षेत्र के समेकित प्रयास रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण हैं जिसके लिए मंत्रालय द्वारा उनमें से प्रत्येक से अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास किए जाने चाहिए।

<u>रक्षा खरीद में जवाबदेही और पारदर्शिता</u>

10. समिति नोट करती है कि रक्षा खरीद मामलों में जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए, मंत्रालय द्वारा रक्षा कैपिटल खरीद में ईमानदारी, सार्वजनिक जवाबदेही और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के उपाय किए जाते हैं जिसमें भ्रष्टाचार मुक्त खरीद प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए 20 करोड़ रुपये से अधिक सभी मामलों के लिए पूर्व अनुबंध अखंडता संधि (पीसीआईपी) का निष्पादन; शिकायतों का समयबद्ध निपटान जो सीवीसी/डीओपी एंड टी दिशानिर्देशों के अनुरूप हैं; सक्षम वित्तीय प्राधिकरण (सीएफए) का अनुमोदन प्राप्त करने से पहले एल1 विक्रेता की सतर्कता स्थिति का पता लगाने के लिए जारी निर्देश; संदिग्ध संस्थाओं के साथ व्यापार व्यवहार में दंड के लिए दिशानिर्देश और पोत निर्माण कंपनियों के लिए क्षमता मूल्यांकन दिशानिर्देश। इस तथ्य का संज्ञान लेते हुए कि खरीद प्रक्रियाओं में शामिल रक्षा क्षेत्र में जवाबदेही और पारदर्शिता अत्यंत अनिवार्य है, समिति मंत्रालय की पहल की सराहना करती है और सिफारिश करती है कि उपरोक्त उपायों का सख्ती से पालन किया जाए हथियार प्रणालियों की भ्रष्टाचार मुक्त, निष्पक्ष और समय पर खरीद यह सुनिश्चित करने के लिए एक सशक्त निगरानी तंत्र स्थापित किया जाए। समिति उन मामलों की संख्या, यदि कोई हो, से अवगत होना चाहती है जब व्यक्ति उपरोक्त दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन के बाद दोषी पाए गए।

<u>सैन्य हार्डवेयर के लिए विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर बढ़ती निर्भरता</u>

11. समिति देश में हथियारों और उपकरणों के लगातार बढ़ते आयात पर अपनी चिंता व्यक्त करती है। हालांकि भारत दुनिया में हथियारों और उपकरणों का सबसे बड़ा आयातक है, लेकिन समिति ने पाया कि भारत के रक्षा उपकरणों का सबसे बड़ा आयातक होने की कोई प्रमाणिक और आधिकारिक जानकारी उपलब्ध नहीं है क्योंकि कोई भी देश आधिकारिक तौर पर रक्षा उपकरणों के आयात पर जानकारी का खुलासा नहीं करता है। हालाँकि, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (एसआईपीआरआई) द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट में, भारत को वर्ष 2014-19 के लिए रक्षा उपकरणों के दूसरे सबसे बड़े आयातक के रूप में दिखाया गया है। समिति ने 'अनुदानों की मांगों 2021-22' पर अपने इक्कीसवें प्रतिवेदन में बताया है कि 2012-16 की अवधि के दौरान भारत को रक्षा उपकरणों का सबसे बड़ा आयातक बताया गया था। समिति रक्षा उपकरणों के आयात को कम करके इस दिशा में मंत्रालय के प्रयासों की सराहना करती है जो कि आत्मनिर्भरता और मेक इन इंडिया के लक्ष्य की दिशा में एक कदम है जो एसआईपीआरआई प्रतिवेदन से स्पष्ट है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि रक्षा उपकरणों की कैपिटल खरीद खतरे की आशंका, परिचालनात्मक चुनौतियों और प्रौद्योगिकी परिवर्तनों के आधार पर विभिन्न घरेलू और साथ ही विदेशी विक्रेताओं से रक्षा खरीद प्रक्रिया (डीपीपी) के अनुसार की जाती है ताकि सशस्त्र सेनाओं को सम्पूर्ण सुरक्षा चुनौतियों का

सामना करने के लिए तैयार रखा जा सके, समिति अपेक्षा करती है कि आत्मनिर्भरता और स्वदेशी उद्योगों को बढ़ावा देने पर बढ़ते ध्यान के साथ, रक्षा उपकरणों के आयात में और गिरावट आएगी।

12. समिति नोट करती है कि गत चार वित्तीय वर्षों (2017-18 से 2020-21) के दौरान, सशस्त्र बलों के लिए रक्षा उपकरणों की खरीद के लिए कुल 239 अनुबंधों में से संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, इज़राइल फ्रांस, आदि सहित विदेशी विक्रेताओं के साथ लगभग 1,18,111.98 करोड़ रुपये के 87 अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस अवधि के दौरान आयातित रक्षा उपकरणों में हेलीकॉप्टर, विमान, मिसाइल, राइफल, आर्टिलरी गन, सिमुलेटर और गोला-बारूद शामिल हैं। समिति आगे नोट करती है कि हालांकि विदेशी विक्रेताओं से खरीद उनके भारतीय समकक्षों की तुलना में बहुत कम है, फिर भी आयात का मूल्य 2016-17 से लगातार बढ़ रहा है। इसलिए, समिति सिफारिश करती है कि तरीके और साधन तैयार किए जाने चाहिए ताकि आयुध निर्माणियां, डीपीएसयू, डीआरडीओ और निजी उद्योग न केवल आयात विकल्प उत्पादों का उत्पादन करने के लिए काम कर सकें बल्कि अपनी निर्यात क्षमता का विस्तार भी कर सकें ताकि देश रक्षा उपकरणों का निर्यातक बन सके।

<u>आत्मनिर्भरता और मेक इन इंडिया</u>

13. समिति नोट करती है कि रक्षा खरीद प्रक्रिया में पूंजी अधिग्रहण के प्रस्तावों को रक्षा उत्पादन में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 'बाय (ग्लोबल)' की तुलना में 'बाय इंडियन - आईडीडीएम)', बाय (इंडियन), बाय एंड मेक (इंडियन) एंड 'बाय एंड मेक' के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसके लिए रक्षा मंत्रालय ने अपने आधुनिकीकरण कोष का लगभग 64 प्रतिशत 71,400 करोड़ रुपये घरेलू उद्योगों से खरीद के लिए 2021-22 के पूंजी अधिग्रहण बजट के तहत रखा है। समिति आगे नोट करती है कि 2020-21 में स्वदेशी उत्पादन का मूल्य जो 84,643 करोड़ रुपये था, वह घटकर 34,384 करोड़ रुपये (25 जनवरी, 2022 तक) हो गया है और कोविड-19 महामारी को इसका कारण बताया जा रहा है। चूंकि पूंजी अधिग्रहण बजट का एक बड़ा हिस्सा घरेलू उद्योगों से खरीद के लिए निर्धारित किया गया है, समिति सिफारिश करती है कि मंत्रालय को चालू वित्त वर्ष 2021-22 में पूर्ण आवंटित धन का उपयोग करने के लिए और अधिक प्रभावशाली तरीके तलाशने चाहिए। समिति 2021-22 में घरेलू उद्योगों के लिए निर्धारित 71,400 करोड़ रुपये में से कुल उपयोग और इस प्रयोजन हेतु 2022-23 में आवंटित धन की राशि से भी अवगत होना चाहती है। समिति आगे चाहती है कि मंत्रालय को सशस्त्र सेनाओं, डीपीएसयू और निजी क्षेत्र के बीच उचित समन्वय स्थापित करने के लिए पुरजोर प्रयास करना चाहिए ताकि मेक इन इंडिया श्रेणियों के तहत उत्पादन में वृद्धि हो सके।

<u>अत्यधिक ठंड के मौसम में वस्त्र प्रणाली</u>

14. समिति ने पाया कि अत्यधिक ठंड के मौसम में वस्त्र प्रणाली (ईसीडब्ल्यूसीएस) जो कि सियाचिन जैसे अत्यधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तैनात सैनिकों के लिए तीन परत वाले कपड़े हैं। समिति नोट करती है कि इसकी खरीद वास्तविक परिचालन स्थितियों के तहत किए गए उपयोगकर्ता परीक्षणों के माध्यम से निर्धारित मद की प्रभावशीलता पर आधारित है। यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि खरीद केवल उपयोगकर्ता द्वारा अनुमोदित स्रोतों से की जाए और डीजीक्यूए यह सुनिश्चित करता है कि थोक आपूर्ति और उपयोगकर्ता द्वारा अनुमोदित निर्धारित नमूने के बीच शून्य विचलन हो। इसके अतिरिक्त, उपयोग के दौरान गुणवत्ता पर उपयोगकर्ता की संतुष्टि की निगरानी समुचित रूप से संरचित प्रतिक्रिया प्रक्रियाओं के माध्यम से की जाती है और उपयोग के दौरान किसी भी गुणवत्ता के मुद्दे के मामले में, उपयोगकर्ता सेना के आदेश 323/166 के अनुसार एक दोष रिपोर्ट दर्ज कर सकता है, जिसके आधार पर डीजीक्यूए द्वारा उपयोगकर्ता के दावों को सत्यापित करने और दोष के कारणों का पता लगाने के लिए विस्तृत तकनीकी जांच की जाती है। समिति यह याद दिलाना चाहेगी कि अपने 7वें और 21वें प्रतिवेदन में उन्होंने देश में ईसीडब्ल्यूसीएस के स्वदेशी उत्पादन की सिफारिश की है। समिति को यह जानकर खुशी हुई कि भारतीय निजी उद्योग अब भारत में ईसीडब्ल्यूसीएस का निर्माण करने में सक्षम है और इसकी खरीद पहले ही स्वदेशी

आपूर्तिकर्ता से शुरू हो चुकी है। समिति मंत्रालय के प्रयासों की सराहना करती है और आशा करती है कि मंत्रालय के निर्धारित प्रयासों से स्वदेशी रूप से निर्मित और खरीदी गई वस्तुओं की सूची में और वृद्धि होगी।

<u>ऑफसेट क्लॉज</u>

15. समिति ने नोट किया कि केलकर समिति की सिफारिश के आधार पर रक्षा खरीद प्रक्रिया (डीपीपी) में रक्षा पूंजी अधिग्रहण के तहत ऑफसेट को 2005 में शुरू किया गया था और डीपीपी के तहत तैयार किए गए ऑफसेट दिशानिर्देशों में 6 बार संशोधन किया गया है। रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया (डीएपी 2020) के अनुसार ऑफसेट प्रावधान केवल पूंजी अधिग्रहण की "बाय ग्लोबल" श्रेणियों पर लागू होते हैं। वे पूंजी अधिग्रहण अनुबंधों में लागू होते हैं जो 2,000 करोड़ रुपये से अधिक हैं। हालांकि, यदि मूल अनुबंध में इसकी परिकल्पना नहीं की गई हो तो ऑफसेट "फास्ट ट्रैक प्रक्रिया" और "विकल्प खंड" मामलों के तहत खरीद पर लागू नहीं होते हैं। इसके अतिरिक्त, अंतर-सरकारी समझौतों/विदेशी सैन्य बिक्री (आईजीए/एफएमएस) पर आधारित खरीद सहित सभी गैर-प्रारंभिक एकल विक्रेता मामलों में कोई ऑफसेट लागू नहीं होगा और यदि घटक 30 प्रतिशत या इससे अधिक है तो स्वदेशीकरण के मामले में 'बाय ग्लोबल' मामलों के तहत भारतीय कंपनियों पर ऑफसेट लागू नहीं होता है। समिति यह भी नोट करती है कि ऑफसेट अनुबंध मुख्य खरीद अनुबंध के साथ समाप्त होते हैं और सक्षम वित्तीय प्राधिकरण (सीएफए) के अनुमोदन के बाद मुख्य खरीद अनुबंध के साथ हस्ताक्षरित होते हैं और ऑफसेट डिस्चार्ज की अवधि को असाधारण आधार पर अधिकतम दो वर्ष की अवधि तक बढ़ाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त डीएपी

ऑफसेट दायित्वों के निर्वहन के लिए योग्य उत्पादों/सेवाओं को निर्धारित करता है जिसमें रक्षा उत्पादों और हेलीकॉप्टरों और विमानों से संबंधित रखरखाव, मरम्मत और संचालन (एमआरओ) शामिल हैं। हालांकि ऑफसेट दायित्वों को पूरा करने की जिम्मेदारी मुख्य विक्रेता पर होती है, हालांकि, विक्रेता को अपने कार्य के हिस्से के आधार पर टियर-1 उप-विक्रेताओं के माध्यम से अपने दायित्वों का निर्वहन करने की अनुमति है। निवेश और/या प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण के मामले में मामले के आधार पर विक्रेता/टियर-। उप विक्रता के अतिरिक्त अन्य संस्थाओं द्वारा ऑफसेट निर्वहन की अनुमति दी जा सकती है और विक्रेता डीपीएसयू ओएफबी/डीआरडीओ/निजी उद्योग से अपने भारतीय ऑफसेट पार्टनर (आईओपी) का चयन करने के लिए स्वतंत्र हैं। ऑफ़सेट नीति विक्रेताओं को अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के बाद, अर्थात या तो ऑफ़सेट क्रेडिट मांगने के समय या ऑफ़सेट दायित्वों के निर्वहन से एक वर्ष पहले, बाद के चरण में ऑफ़सेट विवरण प्रस्तुत करने की अनुमति देती है।

16. समिति को अवगत कराया गया है कि आज की तिथि अनुसार रक्षा मंत्रालय में कुल 57 रक्षा ऑफसेट अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। 2008-2033 की अवधि में कुल ऑफसेट दायित्वों का निर्वहन लगभग 13.52 बिलियन अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान है। कुल अनुबंधित दायित्वों में से 4.59 बिलियन अमेरिकी

डॉलर विक्रेताओं द्वारा अदा किए गए हैं, जिनमें से 2.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर लेखा परीक्षा में स्वीकार किए गए हैं और शेष दावे स्पष्टीकरण/जांच के अधीन हैं। समिति, कुल ऑफसेट दायित्वों को कम करने में मंत्रालय के प्रयासों की सराहना करते हुए यह आशा व्यक्त करती है कि रक्षा मंत्रालय स्पष्टीकरण/परीक्षा के अन्तर्गत शेष दावों को यथाशीघ्र निपटाने के लिए उचित कदम उठाएगा, जिसके परिणामस्वरूप रक्षा औद्योगिक आधार और मजबूत होगा।

17. इस बात पर संतोष व्यक्त करते हुए कि रक्षा ऑफसेट मॉनिटरिंग विंग प्रभावी ढंग से अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा है, समिति मंत्रालय को अधिक सतर्क और पारदर्शी बनने की सिफारिश करती है क्योंकि ऑफसेट का दायरा 300 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2,000 करोड़ रुपये या उससे अधिक कर दिया गया है। समिति चाहती है कि मंत्रालय 30 प्रतिशत दायित्व का निर्वहन करते हुए कुछ आयात स्थानापन्न उत्पाद उद्योग स्थापित करने का प्रयास करे।

<u>विदेशी प्रत्यक्ष निवेश</u>

18. समिति ने नोट किया कि भारत सरकार ने रक्षा क्षेत्र में स्वत: मार्ग के माध्यम से 74 प्रतिशत तक और सरकारी मार्ग के माध्यम से 74 प्रतिशत से अधिक एफडीआई में वृद्धि की है, जहां कहीं भी आधुनिक प्रौद्योगिकी या अन्य

कारणों से इसकी पहुंच होने की संभावना है। समिति ने नोट किया कि इस एफडीआई सीमा को 49 प्रतिशत से बढ़ाकर 74 प्रतिशत कर दिया गया था ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि इसके साथ प्रौद्योगिकी भी उपलब्ध कराई जाए और एफडीआई सीमा को भी काफी आकर्षक बनाया गया है क्योंकि यह सरकारी मार्ग के माध्यम से 100 प्रतिशत तक का प्रावधान करता है। समिति का सुविचारित मत है कि मंत्रालय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि एफडीआई की सीमा को 74 प्रतिशत तक बढ़ाने के बावजूद, आत्मनिर्भरता का उद्देश्य विफल नहीं होना चाहिए। समिति सिफारिश करती है कि एफडीआई को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए किए गए उपायों के अलावा, मंत्रालय द्वारा देश के अनुसंधान और विकास आधार को मजबूत करने और देश के भीतर सरकारी और निजी क्षेत्र के बीच समन्वय बढ़ाने के लिए पुरजोर प्रयास किए जाएं, ताकि स्वदेशी रक्षा क्षेत्र को ऐसी प्रौद्योगिकियों/प्रणालियों/सहायक उपकरणों का विकास और निर्माण करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके जिन्हें एफडीआई मार्ग के माध्यम से देश में उपलब्ध कराने की मंशा है।

रक्षा योजना

पंचवर्षीय रक्षा योजनाएं

19. समिति नोट करती है कि रक्षा पंचवर्षीय योजनाएं रक्षा मंत्री के परिचालनात्मक निर्देश, दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य योजना और वर्तमान खतरे के अनुरूप रक्षा क्षमताओं को बनाए रखने और बढ़ाने के लिए आवश्यक कदमों की विस्तृत जानकारी प्रदान करने के लिए तैयार की गई हैं। ये योजनाएँ नियोजित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक परिव्यय का अनुमान लगाने में सहायता करती हैं। समिति आगे नोट करती है कि इन पंचवर्षीय योजनाओं के तहत उपलब्ध बजट आवंटन के अन्तर्गत परिचालनात्मक क्रियाकलापों को पूरा किया जाता है। आवंटित निधियों के इष्टतम और पूर्ण उपयोग के लिए योजनाओं की प्राथमिकता पुनर्निधारित की जाती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि रक्षा सेनाओं की परिचालनात्मक संबंधी तैयारियों से कोई समझौता किए बिना तत्काल और महत्वपूर्ण क्षमताओं का प्राप्त किया जा सके।

20. समिति नोट करती है कि रक्षा पंचवर्षीय योजनाएं वित्त मंत्रालय (एमओएफ) को प्रस्तुत वार्षिक बजटीय प्रावधान तैयार करने में एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करती है। समिति यह भी नोट करती है कि सरकार ने तेरहवीं रक्षा योजना (2017-22) के तहत रक्षा मामलों के लिए व्यापक और एकीकृत योजना की

सुविधा के लिए एक रक्षा योजना समिति की स्थापना की है, जो रक्षा योजना से संबंधित सभी प्रासंगिक इनपुट का विश्लेषण और मूल्यांकन करती है जिसमें अन्य बातों के साथ, राष्ट्रीय रक्षा और सुरक्षा प्राथमिकताएं, विदेश नीति अनिवार्यताएं, परिचालन निर्देश और सुरक्षा संबंधी सिद्धांत, 15 वर्ष की दीर्घकालिक एकीकृत परिप्रेक्ष्य योजना (एलटीआईपीपी) सहित रक्षा अधिग्रहण और बुनियादी ढांचा विकास योजनाएं, रक्षा प्रौद्योगिकी आदि शामिल हैं। समिति को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि 12वीं योजना रक्षा मंत्री द्वारा स्वीकृत की गई थी लेकिन इसे वित्त मंत्रालय द्वारा स्वीकृत नहीं किया गया। तथापि, समिति ने पाया कि रक्षा योजना को अनुमोदन नहीं मिलने से रक्षा परियोजनाओं के कार्यान्वयन में बाधा उत्पन्न नहीं हुई। समिति ने अपने पहले के प्रतिवेदनों में रक्षा मंत्रालय के लिए त्रुटिहीन बजटीय योजना और कार्यान्वयन के उपायों को अपनाने की सिफारिश की है। समिति, इस स्तर पर, आशा व्यक्त करती है कि मंत्रालय के केंद्रित प्रयासों से नियोजित विभिन्न गतिविधियों का उचित और प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित होगा, जिसकी वार्षिक बजटीय आवंटन के अनुसार आगे बढ़ने की संभावना है और वित्त मंत्रालय द्वारा औपचारिक अनुमोदन के बिना भी 13वीं रक्षा योजना वार्षिक बजटीय अनुमान तैयार करने के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करती है।

21. तेरहवीं रक्षा योजना में 2017-18 से 2022-23 तक वर्षवार आवंटन के तहत बीई, आरई और वास्तविक व्यय के आंकड़ों को देखने के पश्चात, समिति ने पाया

कि 2017-18 से 2019-20 तक मंत्रालय द्वारा किया गया व्यय उसे आरई स्तर पर आवंटित राशि से अधिक था। 2020-21 में, व्यय बजटीय आवंटन से थोड़ा कम था अर्थात 3,43,822.00 करोड़ रूपये के कुल आवंटन की तुलना में 3,40,093.51 करोड़ रूपये का उपयोग किया गया। समिति समझती है कि कम उपयोग देश में कोविड-19 महामारी के कारण विभिन्न सेवाओं/संगठनों द्वारा किए गए कम व्यय के कारण हो सकता है। समिति ने आगे पाया कि 2021-22 में 3,47,088.28 करोड़ रूपये का अनुमान लगाया गया था, जिसकी तुलना में मंत्रालय को 3,68,418.13 करोड़ रुपये प्राप्त हुए थे और दिसंबर, 2021 तक 2,66,558.69 करोड़ रूपये का उपयोग किया गया। समिति आशा करती है कि रक्षा मंत्रालय के पुरजोर और समन्वित प्रयासों से, शेष निधि का उपयोग सभी सेवा विंगों द्वारा पूर्ण रूप से और वित्तीय वर्ष 2021-22 की समय सीमा के भीतर कर लिया जाएगा क्योंकि कोविड -19 महामारी से राहत है और अब मंत्रालय के पास उन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने के पर्याप्त अवसर हैं जो महामारी के दौरान अब तक बुरी तरह प्रभावित थे। समिति आशा व्यक्त करती है कि 2022-23 में अपनी वार्षिक योजना में मंत्रालय द्वारा दी गई अनुदान की बढ़ी हुई मांगों को वित्त मंत्रालय द्वारा कम नहीं किया जाएगा, विशेषकर जब रक्षा मंत्रालय पूरे आवंटित धन का उपयोग कर सकता है। समिति 2022-23 में मंत्रालय को उनके अनुमानों की तुलना मे आवंटित राशि के आंकड़ों से अवगत होना चाहेगी।

विवाहित आवास परियोजना

22. समिति नोट करती है कि भारत सरकार द्वारा विवाहित आवास परियोजना महानिदेशालय (डीजी एमएपी) की स्थापना इंजीनियर-इन-चीफ के तत्वावधान में तीन सेवाओं के कर्मियों के लिए सेवा कर्मियां हेतु विवाहित आवास की कमी को दूर करने के उद्देश्य से विवाहित आवास का निर्माण किया गया था। भारत सरकार द्वारा सशस्त्र बलों से किए गए वादे को पूरा करने के लिए एमएपी की स्थापना की गई थी। योजना के तहत चार चरणों में दो लाख आवासीय इकाइयों के निर्माण की योजना बनाई गई थी। वर्तमान में, शेष 9,903 आवासीय इकाइयों को चरण- II के तहत पूरा किया जाना है और 71,102 आवासीय इकाइयों की योजना चरण- III के तहत बनाई गई है, जिन्हें पूरा करने के लिए वार्षिक प्रमुख कार्य कार्यक्रम (एएमडब्ल्यूपी) को सौंपा गया है। समिति नोट करती है कि 242.147 करोड़ रु0 की तुलना में 2020-21 में आवंटित रु. 209.6507 करोड़ रुपये का उपयोग किया गया और 2021-22 में कुल 232.50 करोड़ रु0 आवंटन में से (31 दिसंबर, 2021) तक एमएपी के लिए 63.7848 करोड़ रुपये का उपयोग किया गया। समिति यह पता लगाने के लिए चिंतित है कि एमएपी के चरण- II और चरण- III के तहत आवासीय इकाइयों के निर्माण के लंबित होने के बावजूद, 2021-22 में धनराशि का उपयोग बहुत कम है जो कुल निधि का

लगभग एक तिहाई है। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के व्यय के संशोधित नियमों के अनुसार वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में वित्तीय वर्ष के अंतिम माह में व्यय की सीमा को संशोधित कर 25 प्रतिशत एवं 10 प्रतिशत कर दिया गया है। इसलिए समिति यह समझने में विफल रही कि मंत्रालय 2021-22 में आवंटित शेष राशि का उपयोग करने की स्थिति में कैसे होगा। इसलिए, समिति अनुशंसा करती है कि मंत्रालय को ठोस समय-सीमा के साथ एक व्यय तंत्र तैयार करना चाहिए ताकि किसी दिए गए वित्तीय वर्ष में आवंटित निधियों का समग्र रूप से उपयोग किया जा सके ताकि अंत में निधियों को वापस नहीं किया जा सके।

23. समिति ने पाया कि एमएपी के दूसरे चरण के तहत निर्माण के लिए स्वीकृत 69,904 आवासीय इकाइयों (डीयू) में से 9,903 आवासीय इकाई का निर्माण होना बाकी है। इसके अलावा, एमएपी के तहत तीसरे चरण में 71,102 आवासीय इकाई को मंजूरी दी गई थी, जिसे सैन्य अभियंता सेवा के तहत वार्षिक मेजर वर्क्स प्रोग्राम (एएमडब्ल्यूपी) के माध्यम से बंद कर दिया गया है। चरण- II और चरण- III में पहले से हुए विलंब को ध्यान में रखते हुए, समिति अनुशंसा करती है कि चूंकि एएमडब्ल्यूपी द्वारा एमएपी चरण- III के निर्माण के प्रस्ताव को पहले ही मंजूरी दे दी गई है, मंत्रालय को ठोस रूप से आगे बढ़ना चाहिए और कार्य में तेजी लाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए तथा शेष आवासीय

इकाइयों का निर्माण कार्य प्रारंभ करना तथा उन्हें निर्धारित समय सीमा में पूर्ण करना चाहिए। समिति ने नोट किया कि मंत्रालय ने 2023 के अंत तक चरण- II को पूरा करने के लिए समय-सीमा निर्धारित की थी और आशा है कि मंत्रालय उन्हें निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा और उन्हें पात्र कार्मिकों को सौंप देगा।